

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक :16 / 2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : मेसर्स जगदम्बा इन्फ्रा. बनाम श्रीमती प्रियंका सिंह CGRERA-P-EXE-M-PRO-2019-00718

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15 / 06 / 2021	<p>प्रकरण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।</p> <p>आवेदकगण द्वारा अधिवक्ता श्री डेरेश्वर बंजारे उपस्थित।</p> <p>अनावेदिका श्रीमती प्रियंका सिंह स्वतः उपस्थित।</p> <p>आवेदकगण की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदिका श्रीमती प्रियंका सिंह पति-श्री संतोष कुमार सिंह का आवेदक के पास जमा राशि 1,82,000 आवेदक द्वारा प्रत्यर्थी को लौटा दी गई हैं। प्रत्यर्थी प्लॉट का रजिस्ट्री बैनामा नहीं कराना चाहती हैं। इस कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे।</p> <p>अनावेदिका श्रीमती प्रियंका सिंह ने E-mail से सूचना प्रेषित की है कि उन्होंने आवेदक श्री संदीप उपलांचीवार से सभी पैसे वापस ले लिए है, बालाजी ड्रीम सिटी से उन्हे कोई शिकायत नहीं हैं, उन्हे केस बंद करने में कोई आपत्ति नहीं हैं।</p> <p>चूँकि, आवेदकगण प्रस्तुत निष्पादन आवेदन पर बल नहीं देना चाहते हैं एवं उन्होंने प्रकरण को नस्तीबद्ध किये जाने का निवेदन किया है। परिणामतः आवेदन खारिज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाए।</p> <p style="text-align: right;">सही /—</p> <p style="text-align: right;">न्याय निर्णायक अधिकारी</p>	